

कार्यालय जिला कलेक्टर जालोर

क्रमांक: /एफ 10()आ.प्र.एवं सहा./2022/

दिनांक 12.09.2022

—:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::—

अधीक्षण अभियन्ता सानिवि वृत, जालोर के पत्रांक 908 दिनांक 02.08.2022 से अनुशंषा सहित अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, जालोर, भीनमाल व सांचोर द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (सा.नि.वि. सड़कों) के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानसून वर्ष 2022 (संवत् 2079) हेतु मानसून अवधि वर्ष 2022 (संवत् 2079) में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (सा.नि.वि.सड़कों) की तात्कालिक मरम्मत/ पुनरुत्थान हेतु आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.08.2022 में अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 3361 दिनांक 10.08.2022 से भेजे गए प्रस्तावों पर विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश एफ 8(5)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2022/10605-613 दिनांक 08.09.2022 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त सड़क कार्यों की उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त कार्यों के लिए कार्यकारी ऐजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगी:-

क्र.सं.	सा.नि.वि. खण्ड	तहसील क्षेत्र	कुल क्षतिग्रस्त सड़कों की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	जालोर	जालोर	48	113.34
2		आहोर	59	244.10
3	भीनमाल	भीनमाल	37	99.92
4		रानीवाडा	35	110.97
5	सांचोर	सांचोर	117	321.74
योग			296	890.07

अक्षरे आठ करोड नब्बे लाख सात हजार रुपये मात्र।

उक्त व्यय बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहते 02-बाढ चक्रवात आदि 106-खराब सड़को तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (08) (बाढ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना) (01) [सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना] 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रमुख शर्त :-

- 1- वि०ले० नियमों, एवं एस०डी०आर०एफ०/एन०डी०आर०एफ० के तहत भारत सरकार से जारी संशोधित नियम/ नॉर्म्स दिनांक 08.04.2015 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करेगे।
- 2- यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वे सड़के जो डिफेक्ट लाईब्लटी पीरियड के तहत आती है, वो इनमें सम्मिलित नहीं हो।
- 3- बजट कार्यकारी संस्था को आवंटित नहीं किया जावेगा।
- 4- इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी ऐजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।
- 5- क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दिशा निर्देश पत्रांक 9362-63 दिनांक 26.07.2022 की पूर्ण पालना की जावे।

-sd-

(निशान्त जैन)

जिला कलेक्टर

जालोर

दिनांक 12.09.2022

क्रमांक: /एफ 10()आ.प्र.एवं सहा./2022/37567065

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
- 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
- 4- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत, जालोर।
- 6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
- 7- अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड, जालोर/भीनमाल/सांचोर।
- 8- उपखण्ड अधिकारी, जालोर, आहोर, रानीवाडा, सांचोर, भीनमाल।
- 9- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
- 10- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।

प्रभारी अधिकारी
(सहायता), जालोर